SP-534593173

Speed-Post
Very Urgent

125107

R-1553

मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

फा. क्रमांक 2259/21-ब(एक)/2026 भोपाल, दिनांक 22/05/2026

प्रति,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन,
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
मध्यप्रदेश ग्वालियर

विषयः— मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों के समान महंगाई राहत की की स्वीकृति संबंधी विभिन्न आदेश प्रदाय किये जाने के संबंध में।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक/पेंशन/277 दिनांक 12.05.2026

PA

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पश्चिम बंगाल के पत्र दिनांक 13.03.2026 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सदस्यों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अद्यतन महंगाई राहत स्वीकृत एवं वृद्ध पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन के बारे में विशेष मुद्रा प्राधिकार जारी किये जाने हेतु विषय से संबंधित आदेश की प्रति चाही गई है।

उक्त विषय के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुक्रम में विभाग द्वारा न्यायिक सेवा के पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत के निम्नलिखित आदेश जारी किये गये हैं:—

स.क्र.	महंगाई राहत का प्रतिशत	आदेश क्रमांक/दिनांक
01	42% से 46%	फा. क्रमांक 2251/2024/ 21-ब(एक), दिनांक 10.06.2024
02	46% से 50%	फा. क्रमांक 2250/2024/ 21-ब(एक), दिनांक 10.06.2024
03	50% से 53%	फा. क्रमांक 4683/2024/ 21-ब(एक), दिनांक 28.11.2024
04	53% से 55%	फा. क्रमांक 5064/2025/ 21-ब(एक), दिनांक 15.12.2025
05	55% से 58%	फा. क्रमांक E-883668/ 2025/21-ब(एक), दिनांक 16.12.2025

अतः उपरोक्त आदेशों की प्रतियां विशेषमुद्रा प्राधिकार जारी किये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

22.5.26

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव
म.प्र. विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, भोपाल

H-138
29-5-26

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2251/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 06/06/2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।**

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 27/10/2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 06/04/2023 के अनुक्रम में दिनांक 01/07/2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 27/10/2023 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01/07/2023 से पेंशन पर राहत 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(धर्मपाल सिंह सिवाच)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2250/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 10/06/2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान नई संशोधित दर से महगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/1/2024-E.II(B) दिनांक 12/03/2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम,2023 के नियम–9 के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 12/03/2024 के अनुक्रम में राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 01/01/2024 से 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/1/2024-E.II(B) दिनांक 12/03/2024 में दर्शाई गई रीति से होगा।

(2) महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन, मंहगाई भत्ते वेतन के आधार पर की जावेगी।

(3) महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(धर्मपाल सिंह सिवाच)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 4683/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 28/11/2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।**

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 30/10/2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 13/03/2024 के अनुक्रम में दिनांक 01/07/2024 से 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 30/10/2024 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01/07/2024 से पेंशन पर राहत 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

28.11.2024.

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर.

Urgent/Speed Post

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 5064/2025/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 15/12/2025

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगाई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।**

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 11/04/2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 30/10/2024 के अनुक्रम में **दिनांक 01/01/2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई राहत** का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11/04/2025 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में न्यायिक सेवा के समस्त सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01/01/2025 से पेंशन पर राहत 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार)
सचिव (विधि)
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक E-883668/2025/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 16/12/2025

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– म0प्र0 न्यायिक सेवा के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त का भुगतान किये जाने के संबंध में।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 11 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में दिनांक 01/07/2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 08/10/2025 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में न्यायिक सेवा के समस्त सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01/07/2025 से पेंशन पर राहत 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
MUKESH KUMAR
Date: 16-12-2025

(मुकेश कुमार)
सचिव (विधि)
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर...